न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आरएएस)

राजस्व अपील संख्या –03/2023

दायर दिनांक –05.01.2023

निर्णय दिनांक –13.02.2023

जीसीएमएस नं0 –2023/03

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. लक्ष्मी पुत्री राधा जाति रेगर निवारी खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. अशोक पुत्र राधा जाति रेगर निवासी खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।
3. मनोहर पुत्र राधा जाति रेगर निवासी खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री एस0के0चौधरी, अधि0, अपीलार्थी।
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।
3.ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच तहसील, पुष्कर।

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वकील अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत खोरी द्वारा नामान्तरकरण सं0 480 दिनांक 23.11.2022 को खारिज किया गया था, को निरस्त करने बाबत् पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

13.2.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

1. अपीलार्थीगण की ग्राम खोरी में कृषि आराजी स्थित है जिसके खाता सं0 208 नया एवं 204 पुराना है जिसके खसरा नंबर 520/1076 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै0मु0चाह व 520/926 रकबा 0.64 हैक्ट0 किस्म चाही 3 है जिसमें अपीलार्थीगण का क्रमशः 1/20, 1/20, 1/20 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में निहित है।

2. यह कि अपीलार्थीगण के भाई गिरधारी लाल का भी उक्त कृषि आराजी में 1/20 हिस्सा निहित है। अपीलार्थीगण के भाई गिरधारी लाल की दिनांक 01/11/2017 को मृत्यु हो गई थी। गिरधारीलाल के जीवनकाल में ही उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया था जिससे उसका हक व अधिकार वहीं खत्म हो गये थे। गिरधारीलाल के कोई संतान भी नहीं थी। गिरधारी लाल की मृत्यु पश्चात् उक्त अपीलार्थीगण ही मृतक गिरधारी लाल के विधिक वारिसान है। अपीलार्थीगण ने अपने भाई मृतक गिरधारीलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र मृतक गिरधारीलाल के वारिसान का सजरा ग्राम पंचायत खोरी में पेश किया था। जिसमें ग्राम पंचायत खोरी द्वारा मात्र इस आशय कि रिपोर्ट दर्शित करते हुए कि वारिसान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अपीलार्थीगण का नामा0 खारिज होने योग्य है, टिप्पणी के साथ में नामा0 खारिज कर दिया जबकि रेस्पो0 सं0 01 ने किसी भी प्रकार की विधिवत् जॉच किये बिना अपीलार्थीगण का नाम0 खारिज कर दिया जो कि गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो सं0 01 ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच ने अपने जवाब अपील में नामा0 सं0 480 दिनांक 23.11.2022 को खारिज नामा0 को पुनः बहाल किया जाता है तो उसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार तहसीलदार पुष्कर की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/भू.अ./2023/548 दिनांक 10.02.2023 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब अपील में बताया कि ग्राम खोरी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता सं0 208 के खसरा नंबर 520/1076 रकबा 0.01 हैक्ट0, 520/926 रकबा 0.64 हैक्ट0 में अशोक पुत्र राधा हिस्सा 1/20 वगैरह सह खातेदार दर्ज है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहरा में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा नामा0 सं0 480 दिनांक

13.2.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

23.11.2022 को गैर–कानूनी एवं अविधिक रूप से किसी भी प्रकार की विधिवत् जांच किये बिना अपीलार्थीगण का नामा0 खारिज कर दिया, जो कि गलत है। अपीलार्थीगण के भाई गिरधारीलाल की दिनांक 01.11.2017 को मृत्यु हो गई थी। गिरधारीलाल के जीवनकाल में ही उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया था। जिससे उसका हक व अधिकार वहीं खत्म हो गये और गिरधारीलाल के कोई संतान भी नहीं थी। गिरधारीलाल की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीगण ही मृतक गिरधारीलाल के विधिक वारिसान है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत खोरी द्वारा अस्वीकृत नामा0 480 को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी के नाम फौतदगी नामान्तकरण दर्ज किया जावें। रेस्पो0 सं0 02 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया किया कि खाता सं0 208 के खसरा नंबर 520/1076 रकबा 0.01 हैक्ट0, 520/926 रकबा 0.64 हैक्ट0 में अशोक पुत्र राधा हिस्सा 1/20 वगैरह सह खातेदार दर्ज है। मृतक गिरधारीलाल के वारिसानों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण नामा0 खारिज योग्य है। इस कारण उक्त नामा0 सं0 480 खारिज किया गया था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा–राजस्व रिकॉर्ड, गिरधारीलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत खोरी का जवाब एवं तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा खारिज नामान्तरकरण संख्या 480 दिनांक 23.11.2022 को अपास्त कर तहसीलदार, पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि समस्त विधिक पक्षकारानों (वारिसानों) को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13.2.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)